अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति जख्मी हुए; और उन्हें क्या सहायता दी गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) दिनांक 21.1.1994 को लिंक-एक्सप्रैस में हुए दोनों बम विस्फोटों के कारण अभी तक अज्ञात हैं।

(ख) मामले की जांच, लखनऊ के अपराध अन्वेषण विभाग की अपराध शाखा के विशेष बम निरोधक दस्ते द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने पर, दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ग) पहले बम विस्फोट में 4 व्यक्ति घायल हुए तथा दूसरे में एक महिला घायल हुयी। इसके अलावा पहले विस्फोट में एक व्यक्ति अचेत हो गया। उन सभी को हरिद्वार के जिला अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। रेलवे प्राधिकारियों ने गंभीर रूप से घायल हुए दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को 2000/- रुपये की अनुग्रहपूर्ण राहत दी है।

झांसी पुलिस लाइन में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भर्ती

337. **चौधरी हरि सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 2 और 3 फरवरी, 1994 को झांसी पुलिस लाइन में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भर्ती की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने उम्मीद्वार भर्ती किए गये और वे कहां-कहां के रहने वाले हैं;

(ग) क्या यह भर्ती उक्त बल के किसी कमांडेंट के पर्यवेक्षण में की गई थी; यदि हां, तो उसका नाम क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त बल के कमाडेंट के कुछ रिश्तेदारों को भी भर्ती किया गया था?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) सीमा सुरक्षा बल द्वारा 33 पी ए सी लाइंस, झांसी में 3 फरवरी से 8 फरवरी, 1994 तक भर्ती की गई थी।

(ख) कुल 28 उम्मीद्वारों की भर्ती की गई थी और ये उम्मीद्वार, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों के हैं:—

फिरोजाबाद, आगरा, सीतापुर, इटावा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, सुलतानपुर बुलन्दशहर, इलाहाबाद, मैनपुरी, जालौन, बिजनौर, कानपुर, देहात, पिथौरागढ़, मुजफ्फरनगर और बरेली।

(ग) भर्ती, श्री एस०सी० वैद, कमांडेंट की अध्यक्षता वाले एक 5 सदस्यीय अधिकारी बोर्ड द्वारा की गई थी।

(घ) सीमा सुरक्षा बल ने सूचित किया है कि पीठासीन अधिकारी सहित बोर्ड के सदस्यों के किसी रिश्तेदार की भर्ती नहीं की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा

338. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सीमा रेखा के निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं; और क्या सरकार इस प्रकार की सीमा रेखा को देश के हित में नहीं समझती; और

(ग) यदि कोई समुद्री सीमा रेखा पहले से ही निर्धारित है तो क्या पड़ौसी देशों द्वारा उस सीमा रेखा का पालन किया जा रहा है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) सरक्रीक क्षेत्र में सीमांकन के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हैं। पाकिस्तान का बराबर यह मानना रहा है कि जब तक ये मतभेद दूर नहीं हो जाते तब तक भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के अंकन के सम्बन्ध में कोई बातचीत करना सम्भव नहीं है।

सरकार का यह मत है कि समुद्री सीमा के अंकन का मसला तात्कालिक स्वरूप का है।

(ग) पारस्परिक करारों के तहत श्रीलंका, मालदीव और म्यांमा के साथ सीमांकन किया जा चुका है और वे देश इस सीमांकन का पालन कर रहे हैं।